सकारण आदेश

विभिन्न योजनाओं के तहत निम्नलिखित एकरारित पथ, वर्तमान में पंचवर्षिय अनुरक्षण अवधि (Defect Liability Period) के अधीन है, किन्तु आपके द्वारा पथ में सतत अनुरक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पथ की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। अनुरक्षण कार्य कराने हेतु आपको कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं अधोहस्ताक्षरी के द्वारा बारबार निदेश दिए जाने के बावजूद पथ में अनुरक्षण कार्य के प्रति उदासीनता बनी रही।

VC के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा के दरम्यान विभागीय सचिव महोदय, अभियंता प्रमुख महोदय एवं मुख्य अभियंता-3 महोदय द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में इस प्रमंडल के पत्रांक-950 दिनांक-30/05/2021 एवं 1067 दिनांक-15/06/2021 द्वारा दिए गए लिखित एवं प्रतिदिन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुरोध किये जाने के बावजूद आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं किया जाना एकरारनामा के शर्तों के प्रतिकूल है।

अत: निम्न एकरारनामा को सुसंगत कंडिकाओं के तहत विखंडित किया जाता है तथा आपके जमानत की राशि को जब्त करते हुए आपके निबंधन को काली सूची में डालने की अनुशंसा की जाती है।

क्रम	शीर्ष	पथ का नाम	एकरारनामा संख्या	निबंधन संख्या	Clause
1	PMGSY	T05 – Godah BR-30R-113	7/PMGSY 2013-14	3069/12 Class-II	SBD Clause 52.2.C

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-रोसड़ा

ज्ञापांक- 1241 दिनांक- 28-6-21

प्रतिलिपि :- माधव कंस्ट्रक्शन, ग्राम–अंदामा, पो0–कुशातहार, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/रोकड़पाल एवं प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-रोसड़ा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल-समस्तीपुर सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता-3/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-रोसड़ा